एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 5848/2006
करमचन्द व अन्य बनाम स्टेट आफ राजस्थान व अन्य

2.5.2007

माननीय न्यायाधिपति श्री मोहम्मद रफीक

श्री बीरीसिंह सिनसिनवार एवं श्री नवीन धुंआ, अधिवक्तागण याचीगण की ओर से।

याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया।

याचिकाकर्तागण ने यह रिट याचिका अयाचीगण के विरुद्व इस आशय का समादेश जारी करने हेतु प्रस्तुत की है कि उनकी भूमि जो कि खसरा नम्बर 1372 व 1373 का एक भाग थी, की अवाप्ति के बदले उन्हें मुआवजा दिया जाय। उनका कथन है कि उक्त भूमि के खातेदार ने खसरा नम्बर 1372 के 10 बीघा एवं खसरा नम्बर 1373 के 15 विस्वा भूमि का रुपान्तरण करवाकर उसमें आवासीय भूखण्ड बेचे तथा उनमें से एक भूखण्ड याचिकाकर्तागण ने खरीदा है। भूमि अवाप्ति अधिकारी अब इस आधार पर उन्हें मुआवजे का भुगतान नहीं कर रहे हैं कि राजस्व अभिलेखों में अभी भी खातेदार का नाम दर्ज है न कि याचिकाकर्तागण का।

विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनने एवं प्रकरण पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन करने के पश्चात मैं यह पाता हूं कि इस प्रकृति के विवाद हेतु भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 30 के अन्तर्गत प्रावधान किया गया है कि यदि मुआवजे की तय राशि के बंटवारे के सम्बन्ध में कोई विवाद उठाया जाता है तो ऐसा विवाद सक्षम दीवानी न्यायालय के समक्ष निस्तारण हेतु भेजा जा सकेगा।

अत: मैं इस रिट याचिका को इस स्तर पर पोषणीय नहीं मानता हूं। किन्तु प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों में याचिकाकर्तागण को यह स्वतंत्रता दी जाती है कि वे भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं कलेक्टर के समक्ष दो सप्ताह की अवधि में उन आधारों पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करे

जिन आधारों पर उन्होनें यह रिट याचिका प्रस्तुत की है और यदि उनके द्वारा ऐसा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है तो सक्षम अधिकारी उस पर विधि अनुसार आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

यह रिट याचिका इसी प्रकार निस्तारित की जाती है।

(मोहम्मद रफीक)
न्यायाधिपति